१. अध्याय प्रथम: शोध–परिचय

१.१. प्रस्तावना
१.१.१. हिन्दी भाषा
१.१.२. वर्तमान भारत में अन्य भाषा के रुप में हिंदी शिक्षण
१.१.३. गुजरात में हिंदी शिक्षण की स्थिति
१.१.४. गुजरात में हिंदी शिक्षण की समस्या
१.२. समस्या कथन
१.३. अध्ययन की आवश्यकता
१.४. अध्ययन उद्देश्य
१.५. अध्ययन प्रश्न
१.६. परिचालक परिभाषा
१.७. अध्ययन की सीमा एवं परिसीमाएँ
१.८. अग्र अध्यायों का प्रारूप

1.1. प्रस्तावना :

व्यक्ति का भाषाज्ञान उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता हैं। बच्चे का भाषाज्ञान उसके पढ़ाई के सर्व विषयों की उन्नती अथवा अवनति को प्रभावित करता हैं। अपनी मातृभाषा या किसी एक भाषा में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने वाला विद्यार्थी अपने सभी विषयों में भी संतोषजनक प्रगति प्रदर्शित करता हैं; वही दूसरी ओर कमजोर विद्यार्थी अन्य विषयों में पिछड़ता चला जाता हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि, भाषाज्ञान की संपन्नता उस मेरुदण्ड की तरह जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं।

1.1.1. हिंदी भाषा :

हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्या है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी संसार की भाषाओं में अपना तीसरा स्थान रखती है। उत्तरी चीनी और अंग्रेजी के बाद इसका ही स्थान है। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान भारत में सर्वोच्च है।

'हिन्दी' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है, विस्तृत और संकुचित।

विस्तृत अर्थ में हिंदी, हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि प्रायः सत्रह बोलियों का द्योतक है।

संकुचित अर्थ में हिदी खड़ीबोली साहित्यिक हिन्दी का परिचायक है।

शिक्षा के संदर्भ में खड़ीबोली हिंदी का रूप ही प्रचलित है। विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप हिंदी के पुनः तीन रूप मिलते हैं :

1. शिक्षा का माध्यम–मातृभाषा हिंदी,
2. राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा हिंदी और
3. राष्ट्रभाषा हिंदी।

हिंदी के इन उद्देश्यपरक रूपों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं–

1. शिक्षा का माध्यम–मातृभाषा हिंदी :

   हिंदी–भाषी प्रदेशों– बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा में मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षा का माध्यम हैं।

2. **राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा हिंदी :**

हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी राजभाषा के पद पर सुशोभित हैं। सभी सरकारी और गैर–सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग होता हैं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी अभी राजभाषा का स्थान नहीं ले सकी हैं।

3. **राष्ट्रभाषा हिदी :**

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी केवल भारतीय जनसमुदाय द्वारा बोली ही नहीं जाती वरन् सामाजिक एवं साहित्यक संस्थाओं, समाचार–पत्र तथा पत्रिकाओं, चल–चित्रों, व्यवसायिक क्षेत्रों एवं राजनैतिक आंदोलनों की भी भाषा रही हैं।

क्षेत्र–विस्तार के कारण हिंदी में विविधता भी आ गयी है। सरलता, सुबोधता तथा सर्वग्राहिता की प्रवृत्ति के कारण यह निरंतर समृद्ध होती जा रही है। अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरां तथा संप्रेषणीयता के फलस्वरूप हिंदी भारत में ही नहीं, पूरे संसार में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चूकी हैं।

1.1.2. वर्तमान भारत में अन्य भाषा के रुप में हिंदी शिक्षण :

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक शिक्षा आयोग गठित हुए। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट भाषा–नीति का प्रतिपादन किया। शिक्षा आयोग 1966 ने अपने प्रतिवेदन में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित तीन भाषाओं के शिक्षण की सिफारिश की –

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
2. केन्द्र की राजभाषा या सह राजभाषा।
3. एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, जिसे संख्या 1 या 2 में नहीं लिया गया हो और जो शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो।

अहिंदी भाषी प्रदेशों में थोड़े–बहुत परिवर्तन के साथ सर्वत्र तीन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इन तीन भाषाओं में प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। द्वितीय भाषा के रूप में कुछ अपवादों को छोडकर सर्वत्र हिंदी पढ़ाई जाती है। अपवाद स्वरुप कई प्रदेशों–केरल, उड़ीसा, बंगाल, असम, नागालैण्ड–आदि में हिंदी तृतीय भाषा के रुप में पढाई जाती है।

अहिंदी भाषी प्रदेशों में द्वितीय भाषा के रुप में हिंदी का शिक्षण कहीं अनिवार्य माना गया है तो कहीं वैकल्पिक है। आमतौर पर इसका शिक्षण पाँचवी कक्षा से शुरू होता है।

1.1.3. गुजरात में हिंदी शिक्षण की स्थिति :

गुजरात के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रुप से हिंदी चौथी कक्षा से नौवीं कक्षा तक द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कक्षा दसवीं से हिंदी भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

गुजरात में छात्र कक्षा चौथी से नौवीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ते है। कक्षा दसवीं में अब तक वैकल्पिक विषय के रुप में पढाई जाती थीं; किंतु अब कक्षा दसवीं से अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। अतः कक्षा दसवीं से छात्र अनिवार्यरुप प्रथम भाषा के रुप में अपनी मातृभाषा गुजराती, द्वितीय भाषा के रुप में अंग्रेजी तथा तीसरी भाषा के रुप में हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं। अतः दसवीं से बारहवीं तक छात्र गुजराती और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा के रुप में पढ़ते हैं और हिंदी वैक़ल्पिक विषय के रुप में पढ़ते हैं।

उच्चशिक्षा में गुजरात के प्रमुख सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षा की व्यवस्था हैं। अतः छात्र कॉलेज में हिंदी विषय के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे शव्दों में गुजरात की सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय में पीएच.डी. तक पढ़ाई की व्यवस्था हैं।

1.1.4. गुजरात में हिंदी शिक्षण की समस्या :

गुजरात में अन्य भाषा के रुप में हिंदी शिक्षण की समस्याओं को तीन भागों में विभक्त कर देखा जा सकता हैं –

1. पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम,
2. अध्यापक और
3. अध्येता।

1. पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक :

गुजरात में हिंदी शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते समय पाठ्यकम और पाठ्यपुस्तक सामने आये बिना नहीं रहतें। पाठ्यक्रम में हिंदी शिक्षा की शुरूआत कक्षा चौथी से होती है और कक्षा नौंवीं तक अनिवार्य हैं; किन्तु कक्षा दसवीं से हिंदी को तीसरे स्थान पर एक वैकल्पिक विषय के रुप में रखा है। जो कि अब तक द्वितीय स्थान पर वैकल्पिक विषय के रुप में था। इससे समस्या ये हुई

कि अब तक हिंदी को वैकल्पिक द्वितीय भाषा के रुप में पढ़ाया जाता था अर्थात् प्रथम भाषा के रुप में गुजराती और द्वितीय भाषा के रुप में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाया जाता था किन्तु अब प्रथम भाषा के रुप में गुजराती और द्वितीय भाषा के रुप में अंग्रेजी अनिवार्य रुप से पढ़ाया जाता है तथा तृतीय भाषा के रुप में हिंदी वैकल्पिक है अर्थात् कक्षा दसवीं से कुछ छात्र हिंदी विषय को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।

2. अध्यापक :

गुजरात में दो प्रकार के हिंदी अध्यापक हैं : 1.गुजराती भाषी हिंदी अध्यापक तथा 2. गैर–गुजराती भाषी हिंदी अध्यापक।

कक्षा बारह तक मुख्यतः गुजराती भाषी हिंदी अध्यापक हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया होता हैं। जबकी उच्चशिक्षा में गैर हिंदी अध्यापकों और गुजराती भाषी हिंदी अध्यापक हैं।

अध्यापक के संदर्भ में गुजराती भाषी छात्रों को हिंदी शिक्षण की समस्या ये होती है कि, गुजराती भाषी अध्यापक हिंदी भाषा पढ़ाते है तब वह अपनी मातृभाषा का प्रभाव नहीं छोड़ पातें है।

3. अध्येता :

गुजरात में हिंदी भाषा अनिवार्य रुप से पढ़ाई जाती है, किन्तु छात्र उन्हें केवल एक विषय के रुप में पढ़ते हैं। कक्षा के बाद उन्हें वह माहौल नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। परिणाम स्वरुप गुजराती भाषी छात्रों को हिंदी का ज्ञान अपेक्षा से कम होता है!

अतः उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए गुजराती भाषी छात्रों की हिंदी सीखने की समस्या से संबंधित, ठोस अनुसंधान कार्य की आवश्यकता महसूस होती हैं। प्रस्तुत शोधकार्य इस आवश्यकता की संपूर्ति हेतु किया गया एक प्रयास हैं।

1.2. समस्या कथन :

गुजराती भाषी छात्र जब द्वितीय भाषा के रुप में हिन्दी सीखते हैं तब भाषा के सभी स्तरों पर उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। ये कठीनाइयाँ उच्चारणिक, व्याकरणिक, तथा वर्तनीगत होती हैं। ये कठिनाइयाँ ही गुजराती भाषी छात्रों के लिए हिन्दी भाषा सीखने की मुख्य समस्याएँ हैं।

मातृभाषी छात्र जब अन्य भाषा को सीखते हैं तब इस भाषा अधिगम की प्रक्रिया में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और इस समस्या के कारण अनेक प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं। ऐसी स्थिति में अध्येता सामान्यतः अशुद्ध प्रयोगों द्वारा भाषायी नियमों का उल्लंघन करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में इन्हें त्रुटियाँ कहा गया हैं। वस्तुतः 'त्रुटियाँ' ही गुजराती भाषी छात्रों के लिए हिन्दी अधिगम और शिक्षण की 'समस्याएँ' हैं।

भाषा सीखते समय 'भाषायी त्रुटियों का होना' भाषा–अधिगम–प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है। प्रश्न है कि क्या ये त्रुटियाँ स्वतः भाषा सीखने की समस्याओं का समाधान हो सकती हैं? इस संदर्भ में **कार्डर (1967)** त्रुटियों के महत्व को निम्नांकित तीन बिन्दुओं के रूप में चित्रित करते हैं :

1. त्रुटियां शिक्षक को यह बताती है कि उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में छात्र ने कितनी प्रगति की है तथा कितना सीखना शेष हैं।
2. शोधकर्ता के लिए वे भाषा अधिगम प्रक्रिया का प्रमाण देती है, साथ ही वे यह भी बताती हैं कि छात्र भाषा अधिगम के लिए किन–किन उपायों या युक्तियों का उपयोग करता है।
3. स्वयं छात्र के लिए वे इसलिए महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हैं कि त्रुटियों द्वारा वह भाषा अधिगम प्रकिया में भाषायी परिकल्पनाओं की परख कर सकता हैं।

इसी प्रकार **विल्किन्स (1974)** ने भी त्रुटियों को भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का स्त्रोत माना है। इसके द्वारा छात्रों की संभावित त्रुटियों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि त्रुटियाँ भाषा सीखने की समस्याओं के अध्ययन, विश्लेषण एवं समाधान में सहायक हो सकती हैं। इसी समझ से शोधकर्ता ने शोध हेतु निम्नलिखित विषय का चयन किया :

' गुजराती भाषा–भाषी छात्रों की हिन्दी सीखने की समस्याएँ और उनका समाधान '

1.3. अध्ययन की आवश्यकता :

गुजराती भाषी छात्र अन्य भाषा के रुप में हिंदी प्रयोग करते समय अनेक प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं, जिसका संबंध भाषा के विभिन्न पक्षों से हैं। वे कक्षा में जो कुछ सीख पाते है, उसका अभ्यास तथा प्रयोग भाषायी परिवेश के अभाव में नहीं हो पाता। अतः हिंदी सीखते समय उनकी मातृभाषा हिंदी अधिगम को प्रभावित करती

हैं। परिणाम स्वरूप गुजराती भाषी छात्र हिंदी सीखते समय विभिन्न प्रकार की, भाषा के अनेक स्तरों पर अनेक प्रकर की त्रुटियां करते हैं।

चूँकि शोधकर्ता की मातृभाषा गुजराती है और उसने एम.ए, बी,एड्. की पदवी हिंदी माध्यम से, हिंदी विषय के साथ प्राप्त की हैं। अतः उसने द्वितीय भाषा के रुप में हिंदी सीखने की समस्याओं का भलिभाँति सामना किया हैं। इन समस्याओं से संबंधित सर्वेक्षण तथा निदान की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ हैं। अतः समस्या की गम्भीरता और अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए शोधकर्ता ने यह उचित समझा कि वह गुजराती भाषा भाषी छात्रों की हिंदी सीखने की समस्याओं का भाषावैज्ञानिक तथा शैक्षिक दृष्टि से विवेचन करें और आवश्यक समाधान प्रस्तुत करें।

1.4. अध्ययन उद्देश्य :

प्रस्तुत शोधकार्य करने में शोधकर्ता ने कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखा हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों के द्वारा हिंदी भाषा में होने वाली त्रुटियों का अध्ययन करना।
2. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों के द्वारा हिंदी भाषा में होने वाली त्रुटियों की प्रकृत्ति का अध्ययन करना।
3. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों के द्वारा हिंदी भाषा में होने वाली त्रुटियों के आधार पर छात्रों की हिंदी सीखने की समस्या के कारण निर्धारीत करना।
4. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों की हिंदी सीखने की समस्याओं को दूर करने हेतू समाधान के सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5. अध्ययन प्रश्न :

1. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी भाषा सीखने की कौन–कौन सी समस्याएँ हैं?
2. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी भाषा सीखने की समस्याओं के कौन–कौन से कारण हैं?
3. गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों की हिंदी भाषा सीखने की समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं?

1.6. परिचालक परिभाषा :

- **गुजराती भाषा भाषी छात्र :**

  जिनकी मातृभाषा गुजराती हैं, जिसको बचपन से गुजराती भाषा का परिवेश मिला हैं, जिसे बचपन से चौथीं कक्षा तक केवल गुजराती भाषा का ही परिचय है, ऐसे छात्र।

1.7. अध्ययन की सीमा एवं परिसीमाएँ :

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ निश्चित सीमाएं हैं। जो निम्नलिखित हैं :

1. यह अध्ययन गुजराती भाषी कक्षा 8 के छात्रों से ही संबंधित हैं।
2. यह अध्ययन गुजराती भाषी छात्रों की हिंदी भाषा से संबंधित उच्चारणिक, व्याकरणिक तथा वर्तनीगत त्रुटियों से हैं।
3. यह अध्ययन गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिले की विद्यालयों से ही संबंधित हैं।
4. प्रत्येक विद्यालय के 30–30 छात्रों की समस्याओं को अध्ययन का आधार बनाया जाएगा।
5. सामग्री संकलन का आधार मुख्यतः प्रश्नावली द्वारा परीक्षण है।
6. सर्वेक्षण की प्रक्रिया में निर्दिष्ट विद्यालयों के छात्रों की जितनी त्रुटियां प्राप्त हो सके, उन्हें ही संकलित किया जाएगा तथा उनका विश्लेषण किया जाएगा।
7. प्राप्त त्रुटियों के आधार पर गुजराती भाषी छात्रों की हिंदी सीखने की समस्यां निर्धारीत की जाएगी।
8. गुजराती भाषी छात्रों की हिंदी सीखने की समस्याओं का समाधान, अनुसंधान कर्ता के अभ्यास एवं विशेषज्ञों की मदद से प्रस्तुत किया जाएगा।

1.8. अग्र अध्यायों का प्रारूप :

- द्वितीय अध्याय में शोध समस्या से संबधित साहित्य का पुनरावलोकन निहित है।
- तृतीय अध्याय में शोध समस्या से संबधित प्रयुक्त शोध प्रविधि की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
- चतुर्थ अध्याय में प्रदतों के विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम का वर्णन किया गया हैं।
- पंचम अध्याय में संक्षेपिका, निष्कर्ष एवं सुझावों को रखा गया हैं।